प्रेषक,

आयुक्त

अलीगढ़ मण्डल , अलीगढ़ एवं अध्यक्ष

मण्डलीय समिति, अलीगढ़ मण्डल।

सेवा में,

सचिव,

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, शिक्षा केंद् -2 समुदाय केंद्र,

प्रीतिबिहार, नई दिल्ली।

पत्रांक: एस0टी0/ एन0ओ0सी0/ 6392-19 /2017-18 दिनांक: 20/02/2018

<u>विषय अलीगढ़ मण्डल में स्थित माध्यमिक विद्यालयों को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में।</u>

महोदय

उपरोक्त विषयक राजाज्ञा संख्या 1916 (1) / 15 - 7- 09 - 1 (299) / 2007 **दिनांक:** 14.07.2009 के अनुपालन में मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक 20.02.2018 में लिए गए निर्णय के अनुसार यश ग्लोबल स्कूल सबलपुर पिसावा अलीगढ़ को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति पत्र में अंकित निम्न प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

प्रतिबन्ध-

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबंध समिति में संबंधित जिले का जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जाएगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/ कौंसिल फॉर दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वत: समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिए जाएंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जाएगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीयउच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की भांति अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जाएंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय रिकॉर्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. विद्यालय में अग्नि शमन यंत्र स्थापित कर अग्नि शमनअधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

10. नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रावधानित सुरक्षा मानकों का प्रमाण पत्र संबंधित अभियंता से प्राप्त कर लिया जाये।

11. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन / संशोधन परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

12. संस्था की वार्षिक आय –व्यय का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा-जोखा प्रत्येक वर्ष 31दिसम्बर तक इस कार्यालाय को उपलब्ध कराया जाये।

13. स्कूल सुरक्षा निति 2016 का अनुपलान सुनिक्षित किया जाये।

उक्त **प्रतिबन्धो** का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त **प्रतिबन्धो** का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार/मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(जीतेन्द्र कुमार मलिक)
सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति)एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़ मण्डल , अलीगढ़

पृष्ठांकन संख्या –एस0 टी0/ /2018-2019 तद दिनांक :
प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त अलीगढ मण्डल अलीगढ।
2. जिलाधिकारी अलीगढ।
3. संयुक्त सचिव (शिक्षा -7अनुभाग)उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक)उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. जिला विधालय निरीक्षक अलीगढ।
6. प्रबंधक यश ग्लोबल स्कूल सबलपुर पिसावा अलीगढ।

20/02/18

(जीतेन्द्र कुमार मलिक)
सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति)एवं
सयुक्त शिक्षा निदेशक,अलीगढ मण्डल अलीगढ